संख्याः नि0 1354 / 3–5 (वन्य जन्तु परीक्षण)

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.forest.uk.gov.in/
फोन / फैक्सः–0135–2741607, 2742641
ई–मेलः–ccfpfmua@gmail.com

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी।

देहरादूनः दिनांकः 18 अक्टूबर, 2021

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 में वन विभाग के अनुदान सं0–27 की राज्य सैक्टर योजना "2406–02–110–08–00–वन्य जन्तु परीक्षण ,बचाव तथा प्राणी उद्यान केन्द्रो का विकास " के अन्तर्गत शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :– शासनादेश संख्या 1120 / X–2–2021–12(34)2021 दिनांक 13 मई,2021 तथा शासनादेश संख्या 1662 / X–2–2021–12(34)2012 दिनांक 09 अगस्त,2021 (छायाप्रतियॉ संलग्न)।

महोदय,

उक्त सन्दर्भित शासनादेशों व संलग्न अलॉटमेंट आई.डी.S21050270001 दिनांक 13.05.2021 एवं अलॉटमेंट आई.डी.S21080270006 दिनांक 04.08.2021 से वित्तीय वर्ष 2021–22 में वन विभाग के अनुदान सं0–27 की राज्य सैक्टर योजना "2406–02–110–08–00–वन्य जन्तु परीक्षण ,बचाव तथा प्राणी उद्यान केन्द्रो का विकास" के अन्तर्गत शासन से कुल अवमुक्त / जारी की गयी धनराशि ₹4,32,00,000 / –(₹चार करोड़ बत्तीस लाख मात्र) के सापेक्ष विभाग के आहरण वितरण अधिकारियों को पूर्व में अवमुक्त / जारी की गयी धनराशि ₹3,72,53,000 / –(₹तीन करोड़ बहत्तर लाख तिरेपन हजार मात्र) के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष द्वारा वर्तमान में जारी किये जाने हेतु अनुमोदित की गयी धनराशि ₹28,45,000 / – (₹अठाईस लाख पैतालीस हजार मात्र) का **IFMS** पोर्टल के माध्यम से ऑन लाइन बजट विभाग के आहरण वितरण अधिकारी–प्रभागीय वनाधिकारी,तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी को निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ जारी करते हुये प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है :–

1–समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा संदर्भित शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2–अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–423/9(150)-2019/XXVII(1)/2021 दिनांक 31.03.2021 में दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3–अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करे एवं ऐसे कार्य न कराए जिन हेतु राज्य सैक्टर में अलग से योजना उपलब्ध है, यदि योजना से इतर कार्यो को कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।

4–आवंटित धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) नियमावली 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सु–संगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

5–निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम / प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त सक्षम स्तर से वित्तीय / प्रशासनिक और तकनीकी / प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।

6–बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक / मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार / दायित्व सृजित किया जाय।

7– आवंटित / जारी धनराशि के मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.–4 में कार्यालयवार भरकर विलम्बतम प्रत्येक माह की पहली तारीख तक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

8– संदर्भित शासनादेश एवं उक्त बिन्दु संख्या–1 से 7 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में वन्य जन्तु परीक्षण ,बचाव तथा प्राणी उद्यान केन्द्रो का विकास" हेतु सक्षम स्तर /अपर प्रमुख वन संरक्षक,नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड से निर्धारित भौतिक / वित्तीय लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

–2 / –

संख्याः नि0 1354 (1)/3–5 (वन्य जन्तु परीक्षण) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड,देहरादून।

2– महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।

3– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4– अपर सचिव, वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

5– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।

6– मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,हल्द्वानी,उत्तराखण्ड को **IFMS** पोर्टल के माध्यम से विभाग के आहरण वितरण अधिकारी को ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी से प्राप्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।

7– प्रमुख वन संरक्षक,(HoFF)उत्तराखण्ड, देहरादून।

8– मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ उत्तराखण्ड।

9–वन संरक्षक,पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी,उत्तराखण्ड।

10–उप वन संरक्षक, आइ0टी0जी0सी0 कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई,उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)

HOD-Principal Chief Conservator of Forest(4260)

Treasury-Haldwani(0700)

DDO-DFO East Tarai Forest Division Haldwani(4325)

आवंटन पत्र संख्या -Ni-1354/3-5

आवंटन आई डी-H21100270012

अनुदान संख्या-027

आवंटन पत्र दिनांक-18-OCT-2021

लेखा शीर्षक

2406-वानिकी तथा वन्य जीवन

02-Environmental Forestry and wild Life

110-वन्य जीवन परिरक्षण

08-वन्य जन्तु परिरक्षण, बचाव तथा प्राणी उद्यान केन्द्रों का विकास (2406 01 800 15 से स्थानान्तरित)

00-0

Voted

2	4	0	6	0	2	1	1	0	0	8	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
10-प्रशिक्षण व्यय	0	400000	0	400000
42-अन्य विभागीय व्यय	0	500000	0	500000
51-अनुरक्षण	0	1000000	0	1000000
52-लघु निर्माण	0	945000	0	945000
योग	0	2845000	0	2845000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.28,45,000 (Rupees Twenty Eight Lacs Forty Five Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2110:0012

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

वित्त नियंत्रक
वन विभाग
कार्यालय
प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड
देहरादून